पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने का यह सही समय नहीं : सीतारमण

जीएसटी काउंसिल

लखनऊ | विशेष संवाददाता

जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोल-डीजल आदि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में फिलहाल न लाने का निर्णय लिया है। कई राज्यों ने इसका विरोध किया। अगर इसे जीएसटी दायरे में लाया जाता तो कीमतें कुछ कम हो जातीं।

लखनऊ में शुक्रवार को हुई मैराथन बैठक के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई। पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का यह सही समय नहीं है। अधिकांश राज्य पेट्रोल डीजल को वैट से बाहर कर जीएसटी दायरे में लाने के विरोध में थे। अधिकांश राज्यों ने कहा कि यह समय इसके लिए ठीक नहीं है।

निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

12 फीसदी की जगह बायोडीजल पर अब पांच फीसदी कर

इसे आगे टाला जाए। अभी राज्य कोरोना से जूझ रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि यह मुद्दा केवल हाईकोर्ट के निर्देश पर ही बैठक में आया था।

राज्यों ने जीएसटी में ढांचागत खामियों पर आपत्ति जताई पेज 15

कोरोना की दवाओं पर छूट जारी, कैंसर की सस्ती हुईं

कोरोना की दवाओं पर छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। रेमडिसिविर पर पांच फीसदी जीएसटी पड़ेगा। वहीं, कैंसर की कई दवाओं पर दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। कैंसर की दवा कीट्रूडा पर जीएसटी की दर पांच फीसदी कर दी गई है। पेज 15

कागज के कार्टून-पेन महंगे

सभी तरह के पेन, फूड एप से भोजन मंगवाना, आयरन, कापर, एल्युमीनियम व जिंक ओर महंगा होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा उपकरणों, कागज के कार्टून, बैग, पैकिंग कंटेनर्स, प्लास्टिक और पालीयूरेथेन के वेस्ट पर, सभी तरह के कागज के कार्ड महंगे होंगे।